राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकःएफ17(1)/1/डीईएस/भामाशाह योजना/2014/ दिनांकः 06.09.14

जिला कलक्टर
समस्त, राजस्थान।

विषयः— भामाशाह योजना—2014 के परिपत्र—4 दिनांक 03.09.2014 के संबंध में।

महोदय,

भामाशाह योजना के संदर्भ में जारी परिपत्र—4 दिनांक 03.09.2014 के पैरा संख्या—11 कानून व्यवस्था कड़ी करने के संबंध में जिला—प्रशासन 2—3 होमगार्ड प्रति शिविर लगा सकेगा। किन्हीं अति आवश्यक परिस्थिति में अपवाद स्वरूप इससे अधिक होमगार्ड की आवश्यकता होने पर राज्य—स्तर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर—302005
फोन—0141—2222740/5167100 फेक्स—0141—2229756

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक : F5(472)/DOIT/Tech/11/ दिनांक : 06.09.14

जिला कलक्टर,
समस्त जिले,
राजस्थान।

विषय : भामाशाह नामांकन से पूर्व आधार नामांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय जिलों में आधार नामांकन हेतु उपलब्ध मशीनों की संख्या के दृष्टिगत दिनांक 03.09.2014 के परिपत्र–4 के बिन्दु–9 के तहत यह निर्देशित किया गया है कि भामाशाह नामांकन से पूर्व परिवार के महिला एवं पुरूष मुखिया का आधार नामांकन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। यदि शिविर में आधार नामांकन मशीनों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो परिवार के अन्य सदस्यों का आधार नामांकन बाद में किया जा सकता है, किन्तु भामाशाह नामांकन परिवार के सभी सदस्यों का किया जाना है।

इसी क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भामाशाह नामांकन करवाने वाले परिवार के सभी सदस्यों का आधार नामांकन अनिवार्यतः किया जाना है। परिवार के ऐसे सदस्य जिनका आधार नामांकन भामाशाह नामांकन से पूर्व अथवा शिविर में नहीं किया जा सका है उनका आधार नामांकन बाद में करवाकर उनका आधार डेटा बाद में Backend से भामाशाह नामांकन के साथ जोड़ा जायेगा। इस प्रकार बाद में आधार नामांकन किए जाने पर निम्न प्रारूप में सूचना नामांकन एजेंसी से प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्र के एस.डी.ओ. द्वारा जिले के ए.सी.पी. के माध्यम से भामाशाह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी :–

क्र. सं.	नाम	पंचायत समिति / ब्लॉक वार्ड / शहर	आधार पहचान (ई.आई.डी. / यू.आई.डी.)	भामाशाह पहचान संख्या

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. ए.सी.पी., जिला कलक्टर कार्यालय, ..., राजस्थान।
2. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला ...., राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (यू.आई.डी.)

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855 Fax: 0141-2222011